न्यायालय सम्भागीय आयुक्त बीकानेर
सत्यमेव जयते
सम्भाग बीकानेर

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर

1. श्रीमती गोमती देवी पुत्री श्री कुम्भाराम पत्नी श्री गोरीशंकर जाट निवासी रामसरा जाखड़ान पुलिस थाना सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर हनुमानगढ़।

अपील सं.– 56/2011 अंतर्गत धारा 18 शस्त्र अधिनियम 1959
GCMS No.–2011/00089

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट श्री राकेश गौड़ अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से लोक अभियोजक उपस्थित। यह अपील जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 28.06.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। अभिभाषक अपीलान्ट एवम् अपीलान्ट के नाम रुक–रुक कर आवाज लगवाई गयी। बार–बार आवाज लगवाये जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलान्ट और न ही स्वयं अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुए। इस न्यायालय द्वारा अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 08.10.2012 से बहस हेतु अवसर दिया जाता रहा है, किन्तु इसके बावजूद भी अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट उपस्थित नहीं हुए। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी थी, किंतु अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट की अनुपस्थिति अपील चलाने में उनकी अरुचि जाहिर करती है। अतः यह अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्रेषित हो। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 01.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 1/4/24 संभागीय आयुक्त बीकानेर	